12/10/17

राज्य द्वारा एडीपीओ। अमियुक्त धीरेन्द्र अनु०। उसकी ओर से व शेष अमियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव।

अनुपस्थित आरोपी का हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकर।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी एवं आहत वीरेन्द्र एवं भूपेन्द्र उपस्थित।

उमय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उमय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उमयपंक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूंछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित

पदा अवस्थी, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।

GRPG—137—Forms—23-7-16—2,00,000 Forms.

Order Sheet [Contd]

क्षा भारता धारिक मिजर्टेट प्रथम सर्ग भिष्य प्रदेश

Case No.

. . . . of 20

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उमय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हरताक्षर कर मध्यरथता हेतु उपरोक्त मध्यरथ को मेजा जाये। मध्यरथ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सचित करें।

उभयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष आज दिनांक 12.10.17 को 12 बजे स्वतः उप0 रहें।

प्रकरण आगामी दिनांक 30.10.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेत् पेश हो।

Challe Judicial Magistrate Liese Chiss Gonad distt. Bhind (MR)

प्नश्य:

उभयपक्ष पूर्ववत।

320, द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमित आदिन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी एवं आहत के हस्ताक्षर, छायाचित्र यक्त प्रस्तृत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री आरं। एसं कुशवाह एव अमियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव द्वार रेके

उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोग-लालच के पारस्परिक संबंधों को मध्र रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अमिय्क्तगण पर भा०द०वि० की धारा २९४, ३२५/३४, ३२३/३४ एवं 506 माग-दों के अधीन दण्डनीय अपराध में अभियोगपत्र पेश किया है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अत राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 325/34, 323/34 एवं 506 भाग-दिश भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रमाव अभियुक्तगण की दोषम्कित होगा।

I	
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। आगामी नियत दिनाक निरस्त की necessary
	जाती है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार
*	में प्रेषित हो।
	Judicial Wagistrate Lifs Class
	Golfaet distribution Por Para
E.	5 dardet whe
	Bi-